<u>न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म०प्र0)</u>

आपराधिक प्रकरण कमांक 623 / 2017 संस्थन दिनांक 24.08.2017

म0प्र0	राज्य	द्वारा	आरक्षी	केन्द,	ठीकरी,	
जिला-	–बड़वा	नी म	0प्र0।			

----अभियोगी

<u>विरूद्ध</u>

- चेतन पिता महेश गिर गोस्वामी, आयु 19 वर्ष,
 निवासी दवाना थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0।
- महेश पिता नत्थु राठोड, आयु 45 वर्ष,
 निवासी दवाना थाना ठीकरी,जिला बडवानी म0प्र0

 -—आमयुक्तगण	

/ <u>/ निर्णय</u> / / (आज दिनांक 13.12.2017 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 230/2017 में दिनांक 02.08. 2017 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर आरोपी चेतन के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 279 एवं 3/181,146/196 मोटरयान अधिनियम का अभियोग इस आधार पर है कि, उसने दि0 02.08.2017 को सुबह 8 बजे सरकारी अस्पताल के सामने ग्राम दवाना में मोटरसाईकिल कं0 एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरिके से चलाकर मानव जीवनसंकटा पन किया तथा उक्त मोटरसाईकिल को बिना चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त किये एवं बीमा कराये बिना लोक मार्ग पर चलाया एवं आरोपी महेश के विरुद्ध धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का अभियोग इस आधार पर है कि, उसने उक्त मोटरसाईकिल का पंजीकृत स्वामी होते हुये उक्त वाहन अप्राधिकतृ व्यक्ति को चलाने के लिये दिया।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि, आहत् रोहित के पिता जितेन्द्र चौहान ने भादसoं की धारा 337 में आरोपी चेतन से राजीनामा किया है, इस कारण आरोपी चेतन को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया गया हैं।
- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि0 02.08.2017 को सुबह 8 बजे फरियादी जितेन्द्रसिंह चौहान ने थाना ठीकरी में वाहन चालक कं0 एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 के चालक के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी, आज सुबह उसका पुत्र रोहित उम्र 6 वर्ष दवाना बाजार से किराना सामान लेकर लोट रहा था,तभी दवाना सरकारी अस्पताल के सामने देवला रोड की तरफ से आ रही मोटरसाईकिलकं0 एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 का चालक तेज व लापरवाही पूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर लाया और उसके लडके रोहित को टक्कर मार दी । जिससे उसके लडके रोहित को बाये पैर,बाये हाथ की उगंलियों तथा सिर में चोट लगी थी, उसने चोट लगने के बाद रोहित का दवाना सरकारी अस्पताल में ईलाज करवाकर उसके लडके रोहित को लेकर रिपोर्ट करने आया था।फरियादी की रिपोर्ट के आधार

पर थाना ठीकरी पर अप0कं0 230/17 दर्ज कर आहत् रोहित का मेडिकल परीक्षण कराया गया, तथा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये है। वाहन मालिक आरोपी महेश से मोटरयान अधिनियम की धारा 133 की जानकारी प्राप्त करके विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया हैं।

- 4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे द्वारा आरोपी चेतन के विरूद्ध भादस0ं की धारा 279 एवं 3/181,146/196 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी महेश के विरूद्ध धारा 5/180 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में आरोपी ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है,एवं बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:—
 - 1. क्या आरोपी चेतन ने दिनांक 02.08.2017 को समय 8:00 बजे, स्थान ग्राम दवाना सरकारी अस्पताल के सामने मोटरसाईकिल कं0 एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरिके से चलाकर मानव जीवन संकटापन किया?
 - 2. क्या आरोपी चेतन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को लोक मार्ग पर बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाया?
 - 3. क्या आरोपी चेतन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटर— साईकिल को लोक मार्ग पर बिना बीमा कराये चलाया?
 - 4. क्या आरोपी महेश ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटर— साईकिल को अप्राधिकतृ व्यक्ति से चलवाया?
- 6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जितेन्द (अ.सा.1),गंगाराम (अ.सा. 2),ध्यानेन्द्र (अ.सा.3),योगेश शिन्द्र (अ.सा.), के कथन कराये है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जितेन्द्र (अ.सा.1), का कथन है कि, वह आरोपी चेतन को जानता है, लगभग दो माह पूर्व उसके पुत्र रोहित उम्र 6 वर्ष को दवाना सरकारी अस्पताल के सामने कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल से टक्कर मार गया था उसने दुर्घटना कारित करने वाले व्यक्ति तथा मोटरसाईकिल का नंबर नहीं देखा था लोगों के बताने पर उसने थाना ठीकरी पर मोटरसाईकिल कं0एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 के चालक के विरुद्ध प्र0पी0 1 की रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, अरोपी चेतन ने दुर्घटना कारित की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, राजीनामा करने के कारण वह असत्य कथन कर रहा हैं।
- 8. गंगाराम (अ.सा.२)ने भी आरोपी चेतन को पहचाने और रक्षाबंधन के समय

सुबह 7—8 बजे एक बच्चे को आरोपी चेतन की मोटरसाईकिल से टक्कर लगने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन हे कि, आरोपी मोटरसाईकिल लेकर गांव से बस स्टेण्ड की ओर जा रहा था उसने मोटरसाईकिल का नंबर नहीं देखा था। वह घायल बच्चे को अस्पताल लेकर गया था बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने घटना होते हुये नहीं देखी और आरोपी चेतन को भी घटना स्थल पर नहीं देखा था वह घटना स्थल पर घटना होने के बाद पहुंचा था।

- 9. ध्यानेन्द्र (अ.सा.3) का कथन है कि, दि0 02.08.2017 को फरियादी जितेन्द्र ने थाना ठीकरी पर आकर मोटरसाईकिल एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 के चालक के विरूद्ध तेजी एवं लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर उसके पुत्र को टक्कर मार देने के संबंध में प्र0पी0 1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की आरे से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, फरियादी ने उसे वाहन चलाक का नाम नहीं बताया था।
- 10. योगेश शिन्दे (अ.सा.4) का कथन है कि, दि0 03.08.2017 के थाना ठीकरी के अपराध कं0 230 / 17 की विवेचना के आधार पर उसने घटना स्थल जाकर नक्शामौका प्र0पी0 2 का बनाया था जिसके ए से एभाग पर उसके हस्ताक्षर है उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे उसने महेश पिता नत्थु राठौड को सूचना पत्र देकर वाहन चालक की जानकारी प्र0पी0 3 के अनुसार मांगी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी चेतन के पेश करने पर मोटरसाईकिल कं0एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 प्र0पी0 4 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की आरे से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि,घटना स्थल के आसपास के साक्षियों ने वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। उसने आहत् एवं साक्षियों से वाहन चालक की पहचान नहीं करायी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने असत्य विवेचना की हैं।
- 11. इस प्रकार परिक्षित किसी भी साक्षी ने आरोपी चेतन द्वारा घटना दिनांक ,स्थान व समय पर उक्त मोटरसाईकिल कं0 एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 लोक मार्ग पर उतालेपन या उपेक्षापूर्ण चलाकर उक्त वाहन की टक्कर रोहित को मारने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है या तक की आहत् के पिता जितेन्द्र ने आरोपीगण से राजीनामा करना स्वीकार किया हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी चेतन के विरुद्ध भादसं0 की धारा 279 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण की विवेचना अधिकारी योगेश शिन्दे ने भी उक्त मोटरसाईकिल आरोपी चेतन द्वारा लोक मार्ग पर बिना चालक अनुज्ञप्ति और बिना बीमा चलाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।उक्त साक्षी का यह भी कथन नहीं है कि,आरोपी महेश राठौड ने अपने स्वामित्व की मोटरसाईकिल कं0 एम0पी0 46 एम0एफ0 6063 आरोपी चेतन को अप्राधिकतृ रूप से चलाने के लिये दी थी। ऐसी स्थिति में आरोपी चेतन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181,146/196 तथा आरोपी महेश के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 का अपराध प्रमाणित नहीं होता हैं।
- 12. अतः न्यायालय आरोपी चेतन को भादस0ं की धारा 279 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181,146/196 एवं आरोपी महेश को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करता हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादस0ं की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी म0प्र0 मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी म०प्र0